

२०२५/३७

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर

क्रमांक राजस्व/2024/ 340

दिनांक २०/५/२०२५


२६  
२५

## ॥ आदेश ॥

तहसीलदार फुलेरा के पत्रांक/2024/911 दिनांक 06.03.2024 अनुसार व सम्बन्धित ग्राम पचायत द्वारा प्रेषित पत्र एवं संलग्न नक्शा पत्रादि व रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । प्रकरण में प्रस्ताव रिपोर्ट , खातेदारी भूमि पर प्रचलित रास्ते के प्रस्ताव सहीत प्राप्त है । प्राप्त तहसीलदार फुलेरा की रिपोर्ट के अवलोकन अनुसार ग्राम बाघपुरा के संबंध में प्रस्ताव अनुसार उल्लेखित खसरा नम्बरान् पर स्थायी रूप से चालू रास्ता है तथा मौके पर गेवल सडक बनी हुई है जो कि वर्षों से मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग में आना बताया है ।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वर्णित भूमि पर संलग्न नक्शेअनुसार मौके पर रास्ता के ही काम आने से राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2) राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्व (ग्रुप-6) क्रमांक प.3(17)/राज-6/2021/पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के अनुसरण में ग्राम बाघपुरा तहसील फुलेरा के ख0न0 325/398, रकबा 0.5943 किस्म बा0 2 में से 0.0640 हैक्टेयर ख0न0 291, रकबा 1.3151 किस्म बा0 2 में से 0.0992 हैक्टेयर ख0न0 290, रकबा 0.6575 किस्म बा0 2 में से 0.0688 हैक्टेयर ख0न0 270, रकबा 3.0222 किस्म बा0 2 में से 0.1600 हैक्टेयर ख0न0 269, रकबा 0.4046 किस्म बा0 3 में से 0.0480 हैक्टेयर ख0न0 267, रकबा 0.5184 किस्म बा0 2 में से 0.0432 हैक्टेयर ख0न0 266, रकबा 0.1138 किस्म बा0 3 में से 0.0008 हैक्टेयर ख0न0 268, रकबा 1.6439 किस्म बा0 2 में से 0.0224 हैक्टेयर भूमि की किस्म गै0मु0रास्ता, दर्ज करने सम्बन्धी अनुशंषा तहसीलदार फुलेरा से प्राप्त होने पर एवं जनहित में रास्ता सार्वजनिक उपयोग में काम आने से तथा तहसीलदार द्वारा प्रमाणित नक्शा ट्रेस अनुसार प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः उक्त खसरा नंबरान में प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन , विधि/नियमों में प्रतिबंधित भूमियों को छोडकर तथा आदेश में वर्णित खसरा नम्बरान् के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय का स्थगन नही होने पर , रास्ता काश्तकार की खातेदारी में रखते हुए करने का आदेश दिया जाता है । आदेश की प्रति ,तहसीलदार फुलेरा को वास्ते राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु प्रेषित की जावे ।

  
(उपखण्ड अधिकारी)  
सांभरलेक । जयपुर

क्रमांक राजस्व/.2024/ 341-43

दिनांक २०/५/२०२५

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही अप्रेषित है ।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जयपुर ग्रामीण ।
2. श्रीमान अति. जिला कलक्टर (प्रथम), प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, कलेक्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण ।
3. तहसीलदार, फुलेरा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त खसरा नम्बरान् में प्रचलित रास्ते के रकबे का राजस्व रिकार्ड में अंकन , विधि में प्रतिबंधित भूमियों को छोडकर व खसरा नम्बरान् के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय का स्थगन नही होने पर,रास्ता काश्तकार की खातेदारी में रखते हुए करने व राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु प्रेषित है ।

  
(उपखण्ड अधिकारी)  
सांभरलेक । जयपुर